उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-9
संख्या-17 /2019/पी-162/अड़तीस-9-19-02(बजट)/19
लखनऊ : दिनांक-31 मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-13** के अन्तर्गत निम्नवत् तालिका के कालम2 में अंकित लेखा शीर्षक के मानक मद में हो रही कुल बचत रू0 225265.83 लाख (रूपये बाइस अरब बावन करोड़ पैंसठ लाख तिरासी हजार मात्र), जिसका विवरण कालम-3 में है, को पुनर्ग्रहण हेतु वित्त विभाग को समर्पित किया जाता है:-

पूंजी लेखा **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्रं0सं0	लेखा शीर्षक के विवरण	बचत/ समर्पित धनराशि
1	2	3
1	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूॅजीगत परिव्य्य-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य।	225265.83
कुल योग-		225265.83

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
संख्या-यू0ओ0-ई-2-304(1) /दस-2019 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि क़पया उपर्युक्त धनराशि रू0 225265.83 लाख (रूपये बाइस अरब बावन करोड़ पैंसठ लाख तिरासी हजार मात्र), की बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्ग्रहण कर ली गयी है।

आज्ञा से,

केशव प्रसाद
उप सचिव।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9
संख्या-17/2019/पी-162(1)/अड़तीस-9-2019 तद् दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/3
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in